प्रेस नोट

दिनांक 20.04.2025

थाना छपिया पुलिस द्वारा मोटरसाईकिल चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-105/25, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए मोटरसाईकिल चोर आदिल अब्बास पुत्र साहिल अब्बास निवासी ग्राम कस्तूबा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को बखरौली मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाईकिल (होण्डा लिओ) UP43AG1877 को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.04.2025 को वादी गुलाम सरवर पुत्र तालिब हुसैन निवासी मल्हीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा द्वारा थाना छपिया में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 13.04.2025 को वह अपने भतीजे की गाड़ी न0 UP43AG1877 मोटरसाईकिल लेकर दवा लेने गया था जिसे अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 20.04.2025 को थाना छपिया पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए मोटरसाईकिल चोर आदिल अब्बास पुत्र साहिल अब्बास निवासी ग्राम कस्तूबा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को बखरौली मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाईकिल (होण्डा लिओ) UP43AG1877 को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. आदिल अब्बास पुत्र साहिल अब्बास निवासी ग्राम कस्तूबा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-105/25, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद मोटरसाईकिल (होण्डा लिओ) नम्बर- UP43AG1877

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह

02. हे0का0 प्रदीप कुमार यादव

03. हे0का0 शैलेष कुमार

04. का0 रविशेख प्रजापति

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 20.04.2025

परिवार परामर्श केन्द्र में 01 जोड़ा एक साथ रहने को हुआ राजीः-

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं द्वारा बिछुडे जोड़ों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 01 जोड़ा को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण-

श्री गंगाधर शुक्ला, श्री राजमंगल मोर्या, श्री यशोदा नन्दन त्रिपाठी, महिला उ0नि0 श्रीमती प्रियंका सिंह, म0आ0 ज्योति राजभर, म0आ0 शाहिना बानों आदि उपस्थित रही।

मीडिया सेल, गोंडा।

प्रेस नोट
दिनांक 20.04.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गो तस्करी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-101/25, धारा 352,351(3),61(2) बीएनएस व 3/5/8 गोवध निवारण अधि व 11(1)(a) पशु क्रूरता अधि0 से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त कल्लू सिंह पुत्र राम नेवाज निवासी ग्राम विश्नोहरपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री शांत प्रकाश दुबे पुत्र अशोक दुबे निवासी ग्राम महंगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 01.04.2025 की रात्रि करीब 11 बजे गांव के ही विन्देश सिंह पुत्र अवधेश सिंह व मन्नू सिंह पुत्र तारकनाथ द्वारा अपने अन्य 02 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर एक अर्धनिर्मित मकान में लगे पिलर व पेड़ में छुट्टा जानवरों को बांध रखे थे तथा रात्रि में पिकअप लाकर उस पर जानवरों को पीटकर बेरहमी से लाद कर ले गए तथा मना करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए 24 घण्टे के अन्दर 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा दिनांक 15.04.2025 को फरार चल रहे 02 आरोपी अभियुक्तों रिजवान अहमद, 02. सलीम को गिरफ्तार कर कर जेल भेजा गया था।
आज दिनांक 20.04.2025 को विवेचना के दौरान वांछित अभियुक्त कल्लू सिंह पुत्र राम नेवाज निवासी ग्राम विश्नोहरपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. कल्लू सिंह पुत्र राम नेवाज निवासी ग्राम विश्नोहरपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0स0-101/25, धारा 352, 351(3), 61(2) बीएनएस व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11(1)(a) पशु क्रूरता अधि0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष अभय सिंह थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. उ0नि0 विभव सिंह,
03. हे0का0 सुनील यादव
04. हे0का0 योगेन्द्र नाथ यादव
05. का0 रामवीर यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 20.04.2025

व्यापारी बन्धुओं के साथ गोष्ठी

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा थाना कोतवाली नगर के सभागार कक्ष में गोण्डा शहर के समस्त व्यापारी बन्धुओं के साथ गोष्ठी आयोजित कर उनसे सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध मे वार्ता की गई एवं उनकी समस्याओं को सुनकर त्वरित/विधिक निस्तारण हेतु सम्बंधित को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 20.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा गोण्डा व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों के साथ थाना कोतवाली नगर के सभागार कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापारिक समुदाय की सुरक्षा, सुविधा और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक का उद्देश्य व्यापारियों के हितों की रक्षा, सड़क पर अतिक्रमण, यातायात और जनपद में शांतिपूर्ण व्यापारिक माहौल सुनिश्चित करना था।

गोष्ठी के दौरान महोदय द्वारा उपस्थित सम्मानित व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनका कुशलक्षेम लिया गया व समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई और उनकी सुरक्षा से संबंधित समस्त पहलुओं की समीक्षा कर निराकरण करने एवं सम्पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण करने हेतु व्यापारी बन्धुओं को आश्वस्त किया गया साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से व्यापारियों को अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, प्रकाश की व्यवस्था रखने, आपसी सहयोग से मार्केट में सुरक्षा गार्ड/चैकीदार रखने, व्यापारिक कार्यों के दौरान कैश के परिवहन करने से पूर्व पुलिस को सूचित करने आदि के संबंध में अवगत कराया गया। यातायात के सुचारू रूप से संचालन एवं जाम की समस्या के निराकरण हेतु समस्त व्यापारियों से सड़क पर अतिक्रमण न करके अपने-अपने प्रतिष्ठान के अंदर ही व्यापार करने हेतु निर्देशित किया गया। गोष्ठी के दौरान महोदय द्वारा कहा गोण्डा पुलिस व्यापार मण्डल के साथ मिलकर अतिक्रमण और जाम की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापारियों की सुरक्षा और सुविधा हमारी प्राथमिकता है, और हम एक सुगम और सुरक्षित व्यापारिक माहौल सुनिश्चित करेंगे। जिस पर गोण्डा व्यापार मण्डल के पदाधिकारीयों द्वारा पुलिस प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और कहा, यह गोष्ठी व्यापारियों की समस्याओं को हल करने और शहर के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम पुलिस के साथ पूर्ण सहयोग करेंगे।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय, क्षेत्राधिकारी लाइन/यातायात श्री उदित नारायन पालिवाल, प्रभारी निरीक्षक को0नगर, यातायात प्रभारी व व्यापारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।